16/04/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। फरीक प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। तहसीलदार के नाम पत्र जारी हो। केस दे दा— हो।

निर्णय सुनाया गया।

245
16/04/25

GCMS
2022/210

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:44 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

गुरदेवसिंह बनाम मनदीपसिंह आदि

किस्म मुकदमाः— 251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः 135 सन् 2022

GCMS:- 2022/210

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हु
16/04/25	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 9 एन.आर.डी. 'बी' की जमाबंदी संवंत 2074 ता 77 के खाता संख्या 56/46 के पत्थर नम्बर 111/316(14) के किला नम्बर 3 ता 8/1.518 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। अप्रार्थी न. 1 व 2 के नाम से वाके चक 9 एन.आर.डी.'बी' की जमाबंदी संवंत 2074 ता 77 के खाता संख्या 67/16 के पत्थर नम्बर 111/316(14) के किला नम्बर 1/1 में 0.202, 10/2 में 0.202, 11/1 में 0.202, 16 ता 19/1.012, 20/2 में 0.202, 21/2 में 0.202, 22 ता 25/1.012 = 3.034 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड ब.हि.ब. खातेदारी व अप्रार्थी न. 3 के नाम इसी चक के खाता संख्या 10/49 के पत्थर नम्बर 111/317(23) के किला नम्बर 11/2 में 0.202, 12 ता 15/1.012 = 1.214 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी व अप्रार्थी न. 4 के नाम इसी चक के खाता संख्या 29/7 के पत्थर नम्बर 111/317(23) के किला नम्बर 16 ता 19/1.012, 20/2 में 0.202 = 1.214 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी व अप्रार्थी न. 5 ता 11 के नाम इसी चक के खाता संख्या 77/67 के पत्थर नम्बर 112/318(25) के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टेयर आराजी काश्त में अप्रार्थी न. 5, 6 व 9, 10 के नाम प्रत्येक के 1/16, 1/16 हिस्सा व अप्रार्थी न. 7, 8 व 11 के नाम प्रत्येक के 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी ने अपने खातेदारी रकबा चक 9 एन.आर.डी. बी के पत्थर नम्बर 111/316 के किला नम्बर 8 में ट्युबवैल लगा रखा हैं तथा इसी ट्युबवैल के पानी को पक्का खाला तक ले जाने के लिए इसी चक 9 एन.आर.डी.बी के पत्थर नम्बर 111/316 के किला नम्बर 8, 13, 18, 22 व पत्थर नम्बर 111/317 के किला नम्बर 2, 9, 20 21 व पत्थर नम्बर 112/318 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में भूमि के अन्दर तीन फुट से ज्यादा गहरी पाईप लाईन आज से चार पांच साल पूर्व दबाई हुई हैं व पाईप लाईन चालू हैं जिससे उक्त ट्यूबवैल का पानी पक्का खाला में जाता हैं व अपने रिश्तेदार व अन्य काश्तकार उक्त पाईपलाईन से फसल काश्त करते हैं। अप्रार्थीगण काफी दिनो से प्रार्थी के साथ में अकारण रंजिश रखते हैं। अप्रार्थीगण जानबूझकर रकबा को उंचा नीचा बताकर समतल करने के बहाने पाईप लाईन को नुकसान पंहुचाने पर उतारू हैं। जबकि प्रार्थी अपने खुद के खर्चे पर पाईप लाईन दुरूस्त करता हैं व पाईप लाईन को और ज्यादा गहरी करने पर भी सहमत हैं। इसलिए प्रार्थी पूर्व में अप्रार्थीगण की सहमती से दबाई हुई पाईपलाईन की सुरक्षा बाबत अदालत से स्वीकृति जारी करने ... है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित ... की जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया ... किया। अप्रार्थीगण के हाजिर नहीं ... एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पाईपलाईन स्वीकृत करने तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar

Date: 2025.04.16 19:21:44 IST

Reason: SelfAttested

(प्रकरण संख्याः 135 सन् 2022) प्रार्थना प

16/04/25

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बावजूद सूचना व तामील के अप्रार्थीगण ने हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी का कहना हैं कि पाईपलाईन चल रही हैं जो पूर्व में अप्रार्थीगण की सहमती से ही डाली गई थी। पाईपलाईन भूमि में 3 फिट से ज्यादा की गहराई में डाली गई हैं। पाईपलाईन से अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं हो रहा हैं। इसलिए प्रार्थी का पाईपलाईन स्वीकृती बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 9 एन.आर.डी.'बी' प.ह. रामपुरा न्यौला के पत्थर नम्बर 111/316 के किला नम्बर 8, 13, 18, 22 व पत्थर नम्बर 111/317 के किला नम्बर 2, 9, 12, 20, 21 व पत्थर नम्बर 112/318 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में प्रार्थी द्वारा लगाई हुई पाईपलाईन की स्वीकृती प्रदान की जाती हैं। पाईपलाईन में कहीं से भी पानी लीकेज न हो और अप्रार्थीगण को इस पाईप लाईन से किसी प्रकार का नुकसान नही हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता हैं कि इस पाईपलाईन में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे, पाईपलाईन को क्षतिग्रस्त नहीं करे व न ही पाईपलाईन को हटाये। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:44 IST
Reason: SelfAttested